"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 321-अ] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 दिसम्बर 2005—अग्रहायण 29, शक 1927

वित्त तथा योजना विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2005

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-6/2003/वित्त (सम.)/चार (52).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-झ के खण्ड (1) के साथ पठित छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2003 (क्रमांक 9 सन् 2003) की धारा 3 के उपबंधों के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 286/ब-4/चार/2003, दिनांक 22-8-2003 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,—

कंडिका 4 में शब्द तथा अंक "31 दिसंबर, 2005" के स्थान पर शब्द तथा अंक "30 जून, 2006" प्रतिस्थापित किये जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2005

क्रमांक एफ 1-6/2003/वित्त (सम.)/चार (52).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-6/2003/वित्त (सम.)/चार (52) दिनांक 20-12-2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 20th December 2005

NOTIFICATION

No. F 1-6/2003/FD (Co)/IV (52).—In persuance of the provision of clause (1) of Article 243-I of the Constitution of India read with section 3 of Chhattisgarh Rajya Vitta Ayog Adhiniyam, 1994 (No. 3 of 1994), the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following further amendments in this department's notification No. 286/B-4/IV, dated 22nd August, 2003, namely :-

AMENDMENT

In the said notification,—

In Para 4, for the words and figures "31st December 2005" the words and figures "30th June 2006" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 325] रायपुर, बुधवार, दिनांक 21 दिसम्बर 2005—अग्रहायण 30, शक 1927

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग

महानदी खण्ड, मंत्रालय परिसर रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2005

आदेश

क्रमांक एफ-36/रानिआ/नपा/निरर्हता/05.—दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत भटगांव, के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. पेंटर राजू को छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 (ख) के अन्तर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2005

आदेश

क्रमांक एफ-21/रानिआ/नपा/निरर्हता/05.—दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत दीपिका, के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री अजय सिंह गौतम को छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 (ख) के अन्तर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2005

आदेश

क्रमांक एफ-22/रानिआ/नपा/निरर्हता/05.—दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत कटघोरा, के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्रीमती जयश्री को छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 (ख) के अन्तर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
ओंकार सिंह, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.